FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मनफूल बनाम जोतराम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 31/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06-02-2023	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण गैरकानूनी तरीके से कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया है कि अप्रार्थीगण का जरिये ईकरारनामा खरीद शुदा है एवं बिजली कनेक्शन है तथा प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत है। हक अप्रार्थीगण खरीद के समय से ही काबिज होकर निवास कर रहे है। प्रार्थी भूमाफिया प्रवृति का है। प्रार्थी स्थगन की आड़ में प्रधानमंत्री आवास रुकवाना चाहता है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे स्वीकार करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र मनगढत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किये गए होने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्तिनीय क्षति को साबित करने में असफल रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में रकबा प्रार्थी के नाम है एवं शेष हक हिस्सों का निर्धारण वादपत्र में तय होना है। इसलिए यह पत्रावली धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल करते हुवे सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। दिनांक 18.02.22 को जारी स्थगन खारिज किया जाता है। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	